न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 92 / 2017 दायरा दिनांक : 10.07.2017

उनवान

पूरीलाल वल्द मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– मांगीलाल वल्द किशना, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– मोतीलाल वल्द कंवरलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– मथुरा लाल वल्द नन्दा, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– प्रभूलाल वल्द नन्दा, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– रूपाबाई पुत्री नन्दा, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– सीताबाई पुत्री श्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– प्रेमबाई पुत्री श्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8– मानीबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– सुगना बाई पुत्री मांगीलाल मृतक जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान मृतक कायम मुकामान –

9/1– कमलेश

9/2– डालचन्द

अकवाम जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10– सदीबाई पुत्री श्री मांगीलाल मृतक, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

11– मथरी बाई बेवा मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

12– बिरधीलाल वल्द नन्दा, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

13– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

14– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 30.01.2023**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 1/वाजदायर दावा/2015 व 73/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 5 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बलदेवपुरा, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 56 की खसरा नम्बर 8 रकबा 10 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 9 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा बरानी, खसरा नम्बर 10 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा बीड़, खसरा नम्बर 11 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा बरानी, खसरा नम्बर 12 रकबा 12 बिस्वा बीड़, खसरा नम्बर 14 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा बरानी जुमला 6 किता की 18 बीघा 19 बिस्वा आराजी शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। जिसमें वादी मांगीलाल का 1/6 भाग, वादी मोतीलाल का 1/6 भाग व वादीगण 3 लगायत 5 का 11/48 भाग हि0 ब0 एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 का 1/3 भाग हि0ब0 व प्रतिवादीगण नम्बर 8 का 5/48 भाग दर्ज रेकार्ड है। वर्णित आराजी शामलाती में रहने से आपस में लडाई झगड़ा होता रहता है तथा वादीगण को अपने हिस्से की आराजी को काश्त करने में कठिनाई हो रही है। वादीगण ने खाता विभाजन हेतु प्रतिवादीगण से कई बार कहा, किन्तु प्रतिवादीगण खाता विभाजन कराने हेतु तैयार नहीं हुए। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वर्णित आराजी में से वादीगण को 27/48 भाग हि0 ब0 पृथक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण को कब्जा आराजी दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक डिक्री व प्रतिवादी पूरीलाल का काउंटर क्लेम खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 73/2007 पूरी लाल बनाम मांगीलाल एवं रेस्पोडेंट मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/2015 मांगीलाल बनाम पूरीलाल डिक्री करने में एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पूर्णतया साबित था कि वाद संख्या 1/2015 से सम्बन्धित आराजी ग्राम बलदेवपुरा की 6 किता की 18 बीघा 19 बिस्वा का बंटवारा पूर्व में हो चुका था जिसके अनुसार ग्राम बलदेवपुरा की मथुरालाल के हिस्से पर पूरीलाल वगैराह का कब्जा था, आज भी पूरीलाल का ही कब्जा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं फरमाया। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 को विवादित आराजी 18 बीघा 19 बिस्वा का पुनः बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट ने पूर्व बंटवारे के मुताबिक ग्राम बलदेवपुरा की 18 बीघा 19 बिस्वा आराजी पर पत्थर कोट कर रखी है, कुआ खुदवा रखा है, संतरे का बगीचा लगा रखा है इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट वादीगण विवादित आराजी का पुनः बंटवारा कराने पर एस्टोप्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकी का निर्णय करने में साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर उचित गौर नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 9, 10, 11, 12 का निर्णय बहक पूरीलाल अपीलांट किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2016 अपास्त किया जावे।

3 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2016 के विरूद्ध पेश की है इसी निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में एक अपील संख्या 4/2018 मथुरा लाल बनाम पूरीलाल के नाम से पेश हुई थी जो दिनांक 27.02.2020 को खारिज की जा चुकी है। इसका निर्णय कैम्प झालावाड़ पर बहस होकर निर्णय किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील की अपील सन् 2017 से मुकाम कोटा पर जैरकार है ऐसी स्थिति में उक्त अपील माननीय न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.02.2020 के आधार पर निर्णित फरमायी जाना उचित है।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8 अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में अपील संख्या 4/2018 बउनवान मथुरा लाल पुत्र नन्दा, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ बनाम पूरीलाल पुत्र मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी बैरागढ़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ वगैरह पेश की जा चुकी है जिस पर निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2020 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज होने योग्य है ।

9 हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया।

- वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने एक वाद पत्र दिनांक 05.06.2007 को पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा प्रकरण संख्या 69/2007 उनवान मांगीलाल बनाम पूरीलाल .निर्णय दिनांक 19.08.2008 दावा वादी डिक्री किया गया तथा काउंटर क्लेम खारिज किया गया।
- निर्णय दिनांक 19.08.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 304/2008 दायरा दिनांक 05.09.2008 उनवान पूरी लाल बनाम मांगीलाल में निर्णय दिनांक 21.05.2009 को अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2008 निरस्त की गई।
- निर्णय दिनांक 21.05.2009 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में प्रकरण संख्या 69/दावा/2007 दायरा दिनांक 05.06.2007 उनवान

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मांगीलाल बनाम पूरीलाल तथा प्रकरण संख्या 73/दावा/2007 दायरा दिनांक 14.06.2007 उनवान पूरीलाल बनाम मांगीलाल को निर्णय दिनांक 13.12.2011 से दोनों वाद वाद संख्या 69/2007 एवं वाद संख्या 73/2007 तथा इनमें प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किये गये।

- निर्णय दिनांक 13.12.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 45/2012 उनवान मथुरा लाल बनाम पूरीलाल में निर्णय दिनांक 23.12.2014 को अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 1 का क्रोस आब्जेक्शन आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2011 अपास्त किया गया।
- निर्णय दिनांक 23.12.2014 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने प्रकरण संख्या 1/वाजदायरा/2015 दायरा दिनांक 21.01.2015 उनवानी मांगीलाल बनाम पूरी लाल तथा प्रकरण संख्या 73/दावा/2007 दायरा दिनांक 14.06.2007 पूरी लाल बनाम मांगीलाल में निर्णय दिनांक 07.11.2016 को प्रकरण संख्या 1/वाज दायरा/2015 को आंशिक डिक्री किया एवं प्रतिवादी पूरीलाल का काउंटर क्लेम खारिज किया गया। प्रकरण संख्या 73/दावा/2007 आंशिक डिक्री किया गया एवं प्रतिवादी मांगीलाल का काउंटर क्लेम खारिज किया गया।
- निर्णय दिनांक 07.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 4/2018 दायरा दिनांक 02.01.2018 उनवान मथुरा बनाम पूरीलाल निर्णय दिनांक 27.02.2020 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2016 को यथावत रखा गया।

10 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 07.11.2016 अपास्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर एवं पूर्व में हुए समस्त निर्णयों पर गौर फरमाकर गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2023 को उपस्थित होवें।

11 निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा